न्यायालय सहायक कलक्टर पदेन उपखण्ड अधिकारी गंगापुर, जिला भीलवाड़ा (राज.)

बईजलास श्री विकास पंचोली (RAS) उपखण्ड अधिकारी

वादपत्र संख्या 120/2015 (2015/00249) दायर तारीख 14.09.2015

अनवान

1. अम्बालाल आत्मज नारू जाट
2. शिवलाल आत्मज नारू जाट
   सर्व निवासी कांगणी तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

--वादीगण

बनाम

1. धन्ना आत्मज गणेश जाट
2. बद्रीलाल आत्मज गणेश जाट
3. माधु आत्मज गणेश जाट
   सर्व निवासी कांगणी तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
4. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा सहाड़ा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा बजरिये शाखा प्रबंधक।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाडा मु0गंगापुर जिला भीलवाडा

--प्रतिवादीगण

उपस्थित :-श्री रितेश सुराणा, अधिवक्ता वादीगण
श्री एम0एल0 बापना (प्रतिवादी सं0 1, 3)
पेरोकार सरकार

:: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राज0 का0 अधिनियम ::

-: निर्णय :-

दिनांक :-28.09.2020

संक्षेप मे वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाद नियमित सुनवाई दिनांक 21.05.2016 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर ग्राम कांगणी पटवार हल्का कांगणी तह0 सहाडा के बेरून हल्का आबादी में वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या एक लगायत तीन के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी नं0 2177 रकबा 0.46 हे0, 2178 रकबा 0.29 हे0, 2179 रकबा 0.44 हे0 कुल किता 03 कुल रकबा 1.19 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 158 (जमाबंदी संवत् 2070 से 2073) पर स्थित भूमि का विभाजन पक्षकारान की उपस्थिति में प्रस्ताव तैयार करने के आदेश दिये जाकर प्राथमिक डिक्री की पालना में भूमि विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार सहाड़ा से तलब किया गया। तहसीलदार सहाड़ा ने अपने पत्रांक/31 दिनांक 20.09.2016 को प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया गया।

ग्राम कांगणी पटवार हल्का कांगणी तह0 सहाडा के बेरून हल्का आबादी में वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या एक लगायत तीन के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी नं0 [illegible] रकबा 0.29 हे0, 2179 रकबा 0.44 हे0 कुल किता 03 कुल रकबा [illegible] भूमि राजस्व खाता संख्या 158 (जमाबंदी संवत् 2070 से 2073) [illegible] तहसीलदार द्वारा निम्नानुसार प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया [illegible] पर प्रतिवादी संख्या 01 के अधिवक्ता द्वारा दिनांक 03.02.2017 को आपत्ति [illegible] पत्र पेश कर निवेदन [illegible] कि वादीगण ने ग्राम कांगणी के खाता संख्या 2177 [illegible] 0.46 हे0, 2178 रकबा [illegible] हे0, 2179 रकबा 0.44 हे0 में अपना 1/2 हिस्सा गलत दर्ज हो जाने का फायदा उठा कर बटवारे हेतु वाद प्रस्तुत किया है जबकि उक्त वर्णित आराजियात में वादीगण का 1/9

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.13 11:11:25 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
... (राज.)

Scanned with CamScanner

हिस्सा ही है तथा 5/9 हिस्सा प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 का है। उक्त वर्णित आराजियात का साबिक आराजी संख्या 746/1 का जो जमाबंदी संवत् 2021 से 2024 में दर्ज रकार्ड था। उक्त वर्णित आराजी में प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 के पिता गणेश का 5/9 हिस्सा एवं वादीगण के पिता नारू का 1/9 हिस्सा जमाबंदी संवत् 210 में दर्ज रेकार्ड था लेकिन दौराने एकीकरण गलत हिस्सा दर्ज हो गया जिसकी दुरूस्ती हेतु प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 ने अलग से वादपत्र प्रस्तुत कर दिया है इसलिये जबतक वादीगण एवं प्रतिवादीगण का सही हिस्सा राजस्व रेकार्ड में दर्ज नहीं हो जाता तबतक मौजूदा वाद की कार्यवाही को स्थगित किया जाना आवश्यक है। अतः निवेदन है कि उक्त प्रकरण की कार्यवाही को स्थगित फरमाया जावें।

जिस पर जवाब वादीगण अधिवक्ता द्वारा दिनांक 10.01.2020 को पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या एक में जंहा तक प्रतिवादी द्वारा वादपत्र प्रस्तुत करने का तथ्य अंकित है बावत् आपत्ति नहीं है शेष चरण गलत होने से स्वीकार नहीं है। वादवर्णित आराजियात में वादीगण का सही रूप से हिस्सा दर्ज है तथा हिस्सा सही रूप से होने से ही प्रतिवादी ने वादी द्वारा मांगे गये विभाजन में अपनी सहमति दिनांक 21.05.2016 को दी है। जिसके आधार पर ही प्रारम्भिक डिक्री जारी कर विभाजन प्रस्तावत मंगवाया गया है असैा प्रतिवादी द्वारा एकवार तथ्य स्वीकृत कर लिये जाने से यह अब उससे मुकर नही सकता है और उस पर विबन्ध का सिद्धान्त लागु होता है। तथ प्रतिवादी ने इसमें सही तथ्य छीपाकर गलत तथ्य अंकित कर यह प्रार्थना पत्र पेश किया है जबकि वास्तविक स्थिति अनुसार वादीगण का वर्तमान जमाबंदी में दर्ज हिस्सा कांगणी के एकीकरण से पूर्व ही जमावंदी सवंत् 2010 – 2013 के अनुसार ही है। अतः निवेदन है कि प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमा प्रकरण की कार्यवाही हो आगे बढ़ाते हुए विभाजन प्रस्ताव अनुसार डिक्री पारित फरमायी जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रा0 पत्र पर बहस उभयपक्ष सुनी गई प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या एक के अधिवक्ता ने दौराने बहस यह निवेदन किया प्रतिवादीगण नें हिस्सा दुरूस्ती हेतु 88 का दावा विचाराधीन है तब तक प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उक्त प्रकरण की कार्यवाही को स्थगित फरमाया जावें।

वादी अधिवक्ता ने दौराने बहस जवाब को दोहराया तथा बताया कि वास्तविक स्थिति अनुसार वादीगण का वर्तमान जमाबंदी में दर्ज हिस्सा कांगणी के एकीकरण से पूर्व ही जमावंदी सवंत् 2010 – 2013 के अनुसार ही है। जिसमें एकीकरण में सभी पूर्वजों ने सहमती दी है जिसके बाद ये दावा पेश किया है ता उक्त 53 का दावा यह पूर्व से ही लम्बित है। अतः निवेदन है कि प्रतिवादी संख्या एक का आपत्ति प्रा0पत्र खारिज फरमाया जावें।

बाद उभयपक्ष बहस के आपत्ति प्रार्थना पत्र व उस पर जवाब का अवलोकन किया तथा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया जिससे प्रतित होता है वादीगण का वर्तमान जमावंदी में दर्ज हिस्सा कांगणी के एकीकरण से पूर्व ही जमाबंदी सवंत् 2010 – 2013 के अनुसार ही है। जिसमें एकीकरण में सभी [illegible] सहमती दे रखी है अतः प्रतिवादी संख्या 1 का आपत्ति प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

अतः वादीगण का [illegible] आपत्ति [illegible] 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर निम्नांकित भूमि उनके नाम के आगे अंकित खातेदारान के नाम राजस्व अभिलेखो में पृथक–पृथक अभिलिखित किये जाने के आदेश दिये जाते है।

2.

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
[illegible] जिला भीलवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.13 11:11:25 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

क्र. सं.	खातेदार का नाम	ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा (हे0)
1	2	3	4	5
1	अम्बालाल शिवलाल पिता नारू को इस खाते का हिस्सा ग्राम गाडरीखेड़ा के खात संख्या 57 में दिया गया।			
		योग	1	0.30
2	धन्ना बद्रीलाल माधू पिता गणेश जाट सा0 देह खातेदार रहन:– बी0ओ0बी0 शाखा सहाड़ा हि0 धन्ना पर रहन:– बी0ओ0बी0 शाखा सहाड़ा हि0 माधू पर	कांगणी (खाता संख्या 158))	2177 2178 2179	0.46 0.29 0.44
		योग	3	1.19

उक्तानुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना – अपना वहन करे।

(विकास पंचोली)
सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 28.09.2020 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.13 11:11:25 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

मूल वाद में डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर पदेन उपखण्ड अधिकारी गंगापुर, जिला भीलवाड़ा (राज.)

वादपत्र संख्या 120/2015 (2015/00249) दायर तारीख 14.09.2015

अनवान

1. अम्बालाल आत्मज नारू जाट
2. शिवलाल आत्मज नारू जाट
   सर्व निवासी कांगणी तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

––वादीगण

बनाम

1. धन्ना आत्मज गणेश जाट
2. बद्रीलाल आत्मज गणेश जाट
3. माधु आत्मज गणेश जाट
   सर्व निवासी कांगणी तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
4. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा सहाड़ा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा बजरिये शाखा प्रबंधक।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाडा मु0गंगापुर जिला भीलवाडा

––प्रतिवादीगण

उपस्थित :–श्री रितेश सुराणा, अधिवक्ता वादीगण
श्री एम0एल0 बापना (प्रतिवादी सं0 1, 3)
पेरोकार सरकार

निर्णय दिनांक : 28.09.2020
डिक्री दिनांक : 28.09.2020

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू न्यायालय उपखण्ड न्यायालय गंगापुर बहाजरी अधिवक्ता वादीगण **श्री रितेश सुराणा, अधिवक्ता अधिवक्ता प्रतिवादीगण श्री एम0एल0 बापना** व पैरोकार सरकार हुकम दिया जाता हैं व डिक्री दी जाती है कि :–

क्र. सं.	खातेदार का नाम	ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा (है0)
1	2	3	4	5
1	अम्बालाल शिवलाल पिता नारू को इस खाते का हिस्सा ग्राम गाडरीखेड़ा के खात संख्या 57 में दिया गया।			
		योग	1	0.30
2	धन्ना बद्रीलाल माधू पिता गणेश जाट सा0 देह खातेदार रहन:– बी0ओ0बी0 शाखा सहाड़ा हि0 धन्ना पर रहन:– बी0ओ0बी0 शाखा सहाड़ा हि0 माधू पर	कांगणी (खाता संख्या 158))	2177 2178 2179	0.46 0.29 0.44
		योग	3	1.19

वादपत्र वादी अन्तर्गत धारा 53 रा[illegible]काश्तकारी अधिनियम मे प्रस्तुत बटवाड़ा प्रस्ताव अनुसार निम्ना[illegible] नाम दर्ज किया जावें। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना – अपना वहन करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.13 11:11:25 IST
Reason: SelfAttested

नीज ....Nil.............................मुवलिग .... Nil ....बावत् .... Nil ......खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शहर .... Nil ....फीस दी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक .... Nil ....का अदा करें।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
जिला भीलवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner

वादपत्र संख्या 120/2015 (2015/00249)
अन्तर्गत धारा 53 आर0टी0एक्ट

बशब्द मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 28.09..2020 को जारी किया गया।

(विकास पंचोली)
सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

मुद	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अरजीदया	–		स्टाम्प अरजीदया	–	
स्टाम्प वकीलात नामा	–		स्टाम्प वकीलात नामा	–	
स्टाम्प वजह सबूत	–		स्टाम्प वजह सबूत	–	
महनताना वकील ( )	–		महनताना वकील ( )	–	
खर्चा गवाह	–		खर्चा गवाह	–	
फीस कमीश्नर	–		फीस कमीश्नर	–	
बाबत् इजराय हुक्मनामा	–		बाबत् इजराय हुक्मनामा	–	
मुनफरिक	–		मुनफरिक	–	
मीजान			मीजान		

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी गंगापुर

2.

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.13 11:11:25 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner